



नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना

(CIN No. : U40109BR2012SGC018920)

वेबसाइट: www.nbpdel.in

निबंधित कार्यालय – विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

कार्यालय आदेश सं०.....**383**.....

N-II/JEE/Alleg.- Sah.-1301/15

दिनांक.....**20.3.2015**.....

श्री अजय कुमार, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, पूर्णिया (ग्रा0) को अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति लापरवाही, आदेश की अवहेलना एवं घोर कदाचार के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप पर, उनके विरुद्ध संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, तत्क्षण प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधेपुरा निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।

आदेशानुसार

ह0/-

(बिनोद कुमार गुप्ता)

उप महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्र0)।

ज्ञापांक.....

दिनांक

प्रतिलिपि:— अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक के तकनीकी सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वरीय निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(बिनोद कुमार गुप्ता)

उप महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्र0)।

ज्ञापांक.....**317**.....

दिनांक.....**20.3.2015**.....

प्रतिलिपि:—महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्र0)/उप महाप्रबंधक—सह—विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, सहरसा/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, सहरसा/पूर्णिया/विद्युत कार्यपालक अभियंता (आई0टी0)/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधेपुरा/पूर्णिया/लेखा पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति अंचल, सहरसा/पूर्णिया/लेखा पदाधिकारी (स्थापना)/श्री अजय कुमार, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, पूर्णिया (ग्रा0), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णिया से अनुरोध है कि वे श्री अजय कुमार, निलंबित कनीय विद्युत अभियंता के विरुद्ध प्रपत्र "क" गठित कर साक्ष्य तालिका एवं गवाहों की सूची सात दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

3. विद्युत कार्यपालक अभियंता (आई0टी0) से अनुरोध है कि इसे कम्पनी के website पर Upload करेंगे।

Rec
20.03.15

(बिनोद कुमार गुप्ता)

उप महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्र0)।

20/3